

सं0 5-1/2010-आ एण्ड एम
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(ओ एण्ड एम अनुभाग)

संचार भवन, 20 अशोक रोड,
कमरा सं0 516, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 20.10.2010


2010 का कार्यालय आदेश सं0 16

विषय : श्री मलय श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (टी), दूरसंचार विभाग को कार्य का आवंटन करना।

संयुक्त सचिव (टी) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप श्री मलय श्रीवास्तव को एतद्वारा निम्नलिखित कार्य मद्दे आवंटित की गई हैं :-

- (i) ट्राई अधिनियम का प्रशासन तथा ट्राई और टीडीसेट से संबंधित अन्य प्रशासनिक मामले। किसी सिफारिश के संबंध में ट्राई को सभी प्रकार का पत्राचार संयुक्त सचिव (टी) के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) दूरसंचार आयोग सचिवालय, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, अन्य स्कंधों को विशिष्ट रूप से आवंटित किये गये कार्यों के अतिरिक्त दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना से संबंधित सभी मामले।
- (iii) ग्रामीण टेलीफोनी और संकेंद्रण संबंधी मुद्दे।
- (iv) एफडीआई से संबंधित मुद्दे।
- (v) निवेश प्रोत्साहन।
- (vi) ब्रॉडबैंड से संबंधित सभी मामले।
- (vii) दूरसंचार संबंधी बहुपक्षीय निकायों संबंधी डब्ल्यूटीओ मामले।
- (viii) उत्कृष्ट दूरसंचार केंद्र।
- (ix) दूरसंचार सम्मेलन (दूरसंचार 2010 को छोड़कर)।
- (x) बीएसएनएल और एमटीएनएल से संबंधित सभी प्रशासनिक और प्रचालनात्मक मामले।
- (xi) 3जी और वाई-मैक्स स्पेक्ट्रम नीलामी संबंधी शेष मामले (बेतार प्रभाग इसमें सहायता करेगा)।

2. श्री मलय श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (टी) कार्य संबंधी वर्तमान आदेश के अनुसार मिसिलें भेजेंगे।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(एस0एम0डी0 चावला)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं0 : 23036073

प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. सदस्य (टी), सदस्य(एफ), सदस्य(एस)।
2. एस(टी), प्रशासक (यूएसओएफ), वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सलाहकार(टी) और बेतार सलाहकार।
3. संयुक्त सचिव (टी), संयुक्त सचिव (ए) और उप महानिदेशक (सी एंड ए)
4. सभी वरिष्ठ उप महानिदेशक, उप महानिदेशक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/बीएसएनएल, एमटीएनएल।
5. निदेशक(आईटी) को इस आदेश को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए।

प्रतिलिपि :

1. माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के निजी सचिव
2. माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (के) के निजी सचिव।
3. माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (पी) के निजी सचिव।
4. सचिव (टी) के निजी सचिव।

